



## मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

कमांक 87/77/2010/चयन

इन्दौर, दिनांक 03-12-2016

### न्यायालयीन निर्णय के परिणामस्वरूप अतिरिक्त चयन परिणाम

(माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर की याचिका क्रमांक डब्ल्यू.ए./438/2012, डब्ल्यू. ए. 439/2012 में पारित निर्णय एवं उच्चतम न्यायालय में दायर एस.एल.पी. कमांक 30849, 30850/2014 एस.एल.ए. (1)30421, 30422/2014 में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2016 में पारित निर्णय के परिपालन में)


आयोग के विज्ञापन क्रमांक 06/परीक्षा/2010/दिनांक 05.07.2010 के द्वारा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के कुल 193 पद विज्ञापित किये गये थे। जिसके चयन हेतु दिनांक 14.11.2010 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा का परिणाम दिनांक 26.03.2011 एवं 02.06.2011 को घोषित किया जाकर अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार दिनांक 01.06.2011 से 18.06.2011 एवं 27.06.2011 से 29.06.2011 तक आयोजित किये गये थे। साक्षात्कार उपरांत अंतिम चयन परिणाम दिनांक 30.06.2011 को घोषित किया गया था।

2/ माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर की याचिका क्रमांक डब्ल्यू.ए./438/2012, डब्ल्यू. ए. 439/2012 में पारित निर्णय एवं उच्चतम न्यायालय में दायर एस.एल.पी. कमांक 30849, 30850/2014 में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2016 में पारित निर्णय के परिपालन में 02 याचिकाकर्ताओं के लिखित परीक्षा में अंको (संशोधित अंक) की अद्यतन स्थिति के परिणामस्वरूप दिनांक 30.06.2011 की स्थिति में घोषित चयन परिणाम में मेरिट गुणानुक्रम के आधार पर याचिकाकारों का चयन परिणाम निम्नानुसार घोषित किया जाता है -

### अनुपूरक सूची

स.क्र.	रोल नम्बर	नाम	लिंग	श्रेणी	दिनांक 30.06.2011 को घोषित चयन परिणाम में वरिष्ठता की स्थिति
01.	17180	अभय प्रताप सिंह राठौर	पुरुष	अनारक्षित	अनुपूरक सूची में चयनित, स.क्र. 2 के नाम के बाद 2-ए पर संस्थित
02.	20114	संदीप सिंह सचान	पुरुष	अनारक्षित	अनुपूरक सूची में चयनित, स.क्र. 9 के नाम के बाद 9-ए पर संस्थित

3/ "चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद नो यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।"

  
(रनु पन्त)  
सचिव